रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923

No. 799] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

का.आ. 1086(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी)पेंशन स्कीम, 2001 है ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. साधारण बीमा (कर्मचारी)पेंशन स्कीम, 1995 में पैरा 49 में,-

(i) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

" यदि कोई पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उप प्रबंधक या उससे उच्च काडर का अधिकारी था और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा:

परंतु यह कि ऐसे कर्मचारी को जिसे उसकी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान किसी विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिक़ारी द्वारा अनुज्ञात किया गया था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।";

(ii) उप-पैरा (2) में " यथास्थिति, निगम या कंपनी" शब्दों के स्थान पर " सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उप-पैरा (3) के प्रारंभिक भाग में, "किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए पैरा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने में, यथास्थिति, निगम या कंपनी निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखेगी" शब्दों के स्थान पर " किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए पैरा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने में, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उप-पैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

" जहां पैरा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी आवेदित अनुज्ञा देने से इंकार नहीं करता है या आवेदन के इंकार किये जाने की ससूचना नहीं देता है, वहां उस सक्षम प्राधिकारी के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने आवेदित अनुज्ञा दे दी है ;

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण् या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और सक्षम प्राधिकरी के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है वहां साठ दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जायेगी जिसको आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर की गई हैं या पूर्ण जानकारी दी गई हैं ।" ;

(v) उप-पैरा (5) मे,"जहां यथास्थिति, निगम या कोई कंपनी आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तो के अधीन रहते हुए देती है या ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करती है वहां आवेदक उस आशय के, यथास्थिति, निगम या किसी कंपनी के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इंकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, निगम या कोई कंपनी उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे" शब्दों के स्थान पर "जहां सक्षम प्राधिकारी आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तो के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करता है वहां आवेदक उस आशय के, सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इंकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और, सक्षम प्राधिकारी उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

" यदि कोई पेंशनभोगी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या

किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन, ग्रहण करने की ऐसी अनुज्ञा उसे इस पैरा के अधीन दी गई है तो सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह सम्पूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का और ऐसी कालावधियों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, हकदार नहीं होगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी की ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि इस उप-पैरा के अधीन कोई आदेश, करने में, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा,अर्थात् :-

(i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियां ;

(ii) संबधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियां ; और

(iii) कोई अन्य संगत, तथ्य ";

(vii) उप-पैरा (7) में "यथास्थिति, निगम या किसी कंपनी" शब्दों के स्थान पर " सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2(7)बीमा-III/2001]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल स्कीम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 28 जून, 1995 को का.आ. 585(अ), तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

1. का. आ. 475 (अ), तारीख 3 जुलाई, 1996
2. का. आ. 342(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1997
3. का. आ. 461 (अ), तारीख 18 जून, 1999
4. का. आ. 1221 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 1999
5. का. आ. 590 (अ), तारीख 22 जून, 2000 और
6. का. आ. 775 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2001

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2001

S.O. 1086(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely :-

1. Short title and commencement.-

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Second Amendment) Scheme, 2001.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, in paragraph 49,-

(i) in sub-paragraph (1), for the words "the Corporation or a Company, as the case may be" at both the places where they occur, the words "competent authority" shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph (2) for the words 'the Corporation or a Company, as the case may be," the words 'competent authority" shall be substituted;

(iii) in sub-paragraph (3) in the opening portion, for the words "the Corporation or a Company, as the case may be", the words "competent authority" shall be substituted:

(iv) in sub-paragraph (4), for the words "the Corporation or a Company, as the case may be " wherever they occur, the words "competent authority" shall be substituted;

(v) in sub-paragraph (5), for the words "the Corporation or a Company, as the case may be " wherever they occur, the words "competent authority" shall be substituted;

(vi) in sub-paragraph (6), for the words "the Corporation or a Company, as the case may be " wherever they occur, the words "competent authority" shall be substituted;

(vii) in sub-paragraph (7), for the words "the Corporation or a Company, as the case may be " the words "competent authority" shall be substituted;

[F. No. 2(7)Ins. III/2001]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

Foot Note.—The Principal Scheme was published vide S.O. 585(E) dated 28th June, 1995, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 28th June, 1995 and subsequently amended by Notification No. :—

1. S.O. 475(E) dated 3rd July, 1996
2. S.O. 342(E) dated 22nd April, 1997
3. S.O. 461(E) dated 18th June, 1999
4. S.O. 1221(E) dated 6th December, 1999
5. S.O. 590(E) dated 22nd June, 2000 and
6. S.O. 775(E) dated 13th August, 2001.